न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 53/23 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2023/116

उनवान

1. जुहरू पुत्र अलीशेर जाति मेव निवासी सतवाडी तहसील पहाडी भरतपुर हाल निवासी शिकारपुर तहसील तावडू जिला नूँह (हरियाणा)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अलीशेर पुत्र सिरदार } जाति मेव निवासी सतवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. जैतूनी पत्नी अलीशेर }
3. श्रीमान् तहसीलदार एवं उप पंजीयक पहाडी जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 15.11.2022 एवं 06.06.23 प्रकरण संख्या 198/22 उनवान अलीशेर बनाम जुहरू।

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. रैस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :–27.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के आदेश दिनांक 15.11.2022 व 06.06.23 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 242/0.49, 407/0.08 वाके ग्राम कान्हौर तहसील पहाडी जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य हैं। एवं प्रार्थी रैस्पो0 का एक मात्र पुत्र अप्रार्थी अपीलाण्ट है। प्रार्थी रैस्पो0 का संयुक्त परिवार पूर्व में ग्राम शिकारपुर तह0 ताबडू हरियाणा में रहता था वहॉ पर प्रार्थी रैस्पो0 संख्या 01 अलीशेर के नाम जमीन थी। पारिवारिक समस्याओ के चलते प्रार्थी रैस्पो0 संख्या 01 ग्राम शिकारपुर को छोडकर आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व ग्राम सतवाडी में आकर बस गये तथा जो शिकारपुर में आराजी थी उसको बेचकर उसकी रकम से आराजी मुतदाविया को अर्जित किया एवं अप्रार्थी अपीलाण्ट के नाम बयनामा करा दिया। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी अपीलाण्ट अकेले के नाम दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी/रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी अपीलाण्ट विवादित आराजी में प्रार्थी रैस्पो0 के कब्जे काश्त से इंकारी हो रहे हैं एवं विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट को पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व सहस्र पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण कायिले खारिजी है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट एक मात्र खातेदार काश्तकार है एवं अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी में कब्जा काश्त नहीं है। एक रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात् 39 नियम 3 ए की पालना नहीं की गयी है। इसलिये अपील पोषणीय है। अधीनस्थ न्यायालय में पिता एवं माता द्वारा पुत्र के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है, जो विधि अनुरुप नहीं है। भरणपोषण का दावा कर सकते हैं परन्तु पुत्र के विरुद्ध खातेदारी अधिकारो का दावा नहीं कर सकते। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्याग्रालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में आदेश 39 नियम 3 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील पोषणीय रहती है। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में पिता–पुत्र के मध्य विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विचाराधीन है एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 31.05.2023 को अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत था,। परन्तु अभिभाषक प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा बहस हेतु कई अवसर लिये गये हैं। जिससे क्षुब्ध होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि जब प्रकरण में जवाब प्रस्तुत हो चुका था तो प्रकरण में नजदीक तारीख पेशियाँ निर्धारित करते हुये प्रकरण का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, अधिकतम 30 दिवस में करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये प्रकरण में मात्र तारीख पेशीयाँ दी जाती रही हैं, जो विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानों के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें एवं प्रकरण में यथासम्भव एक–एक सप्ताह की तारीख पेशियाँ निर्धारित की जावें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2022 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)